



-प्रेस नोट-

दिनांक 31.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा साइबर कैफे/जन सेवा केन्द्र में लूट की घटना में शामिल 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 1120/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 21.12.2024 को वादी शुभ्राशु जैन पुत्र अखिलेश जैन निवासी मैन बाजार अम्बेहटा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बाबत तीन चार बदमाश नाम पता अज्ञात द्वारा वादी की दुकान साइबर कैफे पर आकर तमचा दिखाकर धमकी देते हुए गल्ले मे रखे हुए एक से डेढ लाख रुपये व दो फोन एप्पल एक फोन रेडमी के लूट के ले जाने के सम्बन्ध मे थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 मु0अ0स0 441/24 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 309(4) बीएनएस का विलोपन कर धारा 310(2)/317(3) बीएनएस की वृद्धि कर अभियुक्तगण 1.निखिल पुत्र नरेश नि0 ग्राम खैरसाल थाना गंगोह जिला सहारनपुर 2.इस्तकार पुत्र इकबाल निवासी ग्राम खैरसाल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 3.जुनैद पुत्र इकबाल निवासी ग्राम खैरसाल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 4.अभिषेक पुत्र विनोद निवासी ग्राम सुआवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर व अन्य का नाम प्रकाश में आया। उक्त अभियुक्तगण को पूर्व मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट/डकैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30.12.24 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त हिमांशु पुत्र रमेश निवासी ग्राम सुआवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को ग्राम चापरचिड़ी के पास से समय गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर एवं कस्बा अंबहेटा,सहारनपुर के जनसेवा केंद्र में हुई लूट के संबंध में लूटे हुए 1120/- रुपये नगद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 21.12.24 की शाम को मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर कस्बा अम्बेहटापीर में स्थित साइबर कैफे की दुकान से करीब सवाँ लाख रुपये व 03 मोबाईल फोन लूटे थे और घटना करने के बाद हम सभी लोग भाग गये थे तथा घटना में मिले रुपये हमने आपस मे बाँट लिये थे। मेरे व अभिषेक के हिस्से के कुछ रुपये हमारे एक अन्य साथी के पास थे। इसलिए मैं अभिषेक के साथ यहां आया था। मुझे फन्दपुरी में किसी से मिलना था इसलिए मैं वही उतर गया था साथी ने मुझे खेड़ा अफगान के जंगलो में मिलने के

लिए बुलाया था। इसलिए मैं खेड़ा अफगान के जंगल में आकर अपने साथी का इन्तजार कर रहा था लेकिन वह नहीं आया तो मैं उसके गांव जाने के लिए यहाँ पर सवारी का इन्तजार कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हिमांशु पुत्र रमेश निवासी ग्राम सुआवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

- 01 देशी तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 1120/- रुपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है०का० 618 अकुर अहलावत थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है०का० 1122 प्रवीण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. है०का० 752 राजीव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. का० 497 गौरव कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:31.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 ग्राम

अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध मादक/नशीले पदार्थों एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.12.2024 को गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान अभियुक्त **छम्मन खाँ पुत्र नाजिम खाँ उर्फ कल्लू निवासी ग्राम मोहद्वीनपुर थाना जनकपुरी सहारनपुर** को ग्राम माजरी से कैलाशपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 12 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 287/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं अवैध स्मैक की खरीद फरोख्त का धंधा करता हूँ गागलहेडी थाना क्षेत्र और जनपद सहारनपुर के आस- पास के क्षेत्रों में तथा ट्रक ड्राइवरो/होटल ढाबों व गांव में स्मैक पीने वाले व्यक्तियों को महंगे दामों में बेचता हूँ जिससे मेरी अच्छी मोटी कमाई हो जाती है। स्मैक बेचकर कमाये हुए पैसों को मैं अपनी मौज मस्ती में खर्च कर देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

छम्मन खाँ पुत्र नाजिम खाँ उर्फ कल्लू निवासी ग्राम मोहद्वीनपुर थाना जनकपुरी सहारनपुर ।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 279/24 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना जनकपुरी सहारनपुर ।
2. मु0अ0स0 35/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गागलहेडी सहारनपुर ।
3. मु0अ0स0 279/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जनकपुरी सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण

➤ 12 ग्राम स्मैक नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 लोकेश कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर ।
2. है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर ।
3. है0का0 810 राहुल थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर ।
4. का0 398 नरदेव थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक:31.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 37.7 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवं नशा तस्करी की घटनाओं की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 31.12.2024 को चैकिंग के दौरान 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. नसीम पुत्र कल्वा उर्फ कल्लु नि0 महक सिटी कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर तथा 2. कनीज पत्नी नसीम निवासी महक सिटी कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को भट्टे से फतेह कालोनी को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से 37.7 ग्राम स्मैक नाजायज, 01 इलैक्ट्रॉनिक काँटा, 180 खाली कागज की पुडिया बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 383/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त नसीम द्वारा बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तथा मैंने कई लोगों से कर्जा ले रखा है, पैसों के लालच में हरियाणा तथा पड़ोसी जिलों से सस्ते दामों में स्मैक खरीदकर आस-पास के क्षेत्रों में ट्रक ड्राइवर व अन्य स्मैक पीने वाले लोगों को महंगे दामों में बेचकर काफी लाभ कमा लेता हूँ इस काम में मेरी पत्नी स्मैक बेचने में मेरी मदद करती है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. नसीम पुत्र कल्वा उर्फ कल्लु नि0 महक सिटी कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. कनीज पत्नी नसीम निवासी महक सिटी कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 37.7 ग्राम स्मैक नाजायज
- 01 इलैक्ट्रॉनिक काँटा
- 180 खाली कागज की पुडिया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 जयवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 240 अनुप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 31 सुभाष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

5. है0का0 388 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
6. है0का0 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
7. का0 1215 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
8. का0 1558 जयदीप थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
9. म0का0 2131 अंजली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
10. म0का0 1607 श्वेता थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



दिनांक:31.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये हिच व बोगी एवं घटना में प्रयुक्त 01 ट्रैक्टर बिना न0 प्लेट तथा 5500/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 27.12.2024 को वादी श्री राजवीर सिंह पुत्र डिप्टी उर्फ लिप्टी सिंह निवासी ग्राम मोरा थाना बडगाँव जिला सहारनपुर की लिखित बावत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिनांक 26/12/24 की रात्रि हिच बोगी को गन्ने सहित चोरी कर के आधार पर थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 270/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एव वाँछित/वांरण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में घटना का सफल अनावरण करते हुए। आज दिनांक 31.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर बडगाँव पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए 05 अभियुक्तगण 1- लोकेश कुमार पुत्र कलीराम निवासी रंगाना थान झिंझाना जिला शामली, 2- राहुल कुमार पुत्र कलीराम निवासी रंगाना थान झिंझाना जिला शामली, 3- करण पुत्र मुनेश कुमार निवासी नया गांव थाना बडगाँव जिला सहारनपुर, 4- संजय कुमार पुत्र बाबू निवासी ग्राम झबीरण थाना बडगाँव जिला सहारनपुर तथा 5- टींकू पुत्र राजेन्द्र सैनी निवासी ग्राम रंगाना थाना झिंझाना जिला शामली को मोहम्मदपुर गाढा नहर पुल से गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तगण से हिच व बोगी तथा 5500 रुपये तथा एक ट्रैक्टर महिन्द्रा 575 XP रंग लाल बिना नम्बर प्लेट MBNGAAL33RRB02632 व ईन्जन नं0 RRB2GCA2837 बरामद किये गये बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्त लोकेश उपरोक्त ने किस्तो पर दो ट्रैक्टर लिये हैं जिनकी वह किस्त समय पर जमा नहीं कर पा रहा था तो उन ट्रैक्टरों के किस्तों का इन्तजाम करने के लिए अपनी दोस्तों के साथ इस घटना को अंजाम दिया और उक्त ट्रैक्टर से हिच बोगी से खिंचकर चोरी कर लिया। अन्य चारों अभियुक्तगण द्वारा भी किसी न किसी बैंक से लोन लिया गया है तो उन्होंने भी किस्त जमा करने के लिए अभियुक्त लोकेश के साथ मिलकर चोरी की। बोगी में भरे गन्नों के बारे में पूछने पर बताया कि किसी राह चलते किसान को 14000 रुपये में बेचना बताया तथा कुछ पैसे खर्च हो जाना बताया तथा शेष 5500 रुपये अभियुक्तगणों से बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. लोकेश कुमार पुत्र कलीराम निवासी रंगाना थान झिंझाना जिला शामली
2. राहुल कुमार पुत्र कलीराम निवासी रंगाना थान झिंझाना जिला शामली

3. करण पुत्र मुनेश कुमार निवासी नया गांव थाना बडगांव जिला सहारनपुर
4. संजय कुमार पुत्र बाबू निवासी ग्राम झबीरण थाना बडगांव जिला सहारनपुर
5. टींकू पुत्र राजेन्द्र सैनी निवासी ग्राम रंगाना थाना झिंझाना जिला शामली

बरामदगी का विवरण:-

- 01 हिच व बोगी
- 01 ट्रैक्टर महिन्द्रा 575 XP रंग लाल बिना नम्बर प्लेट (ईन्जन नं0 RRB2GCA2837)
- 5500 रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थानाध्यक्ष थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
4. हे0कां0 231 रोहित चौधरी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
5. हे0कां0 720 विपिन कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
6. हे0कां0 594 आबिद थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
7. हे0कां0 229 राज तोमर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
8. कां0 2545 सोनू कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
9. हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 बोतल देशी शराब माल्टा (हरियाणा मार्का) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.12.2024 को चैकिंग के दौरान अभियुक्त इमरान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को शेरपुर पेलो की तरफ नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 08 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त इमरान उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 208/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं पहले रिक्सा चलाता था। तभी मुझे नशे की लत लग गई थी इससे पूर्व भी मैं कई बार जेल जा चुका हूँ। अधिक पैसे कमाने के लालच में हरियाणा राज्य से सस्ते दामों में देशी शराब खरीदकर आस-पास के क्षेत्र में अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे काफी मुनाफा हो जाता है जिससे मैं अपने नशे के शौक को पूरा करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इमरान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 47/24 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 54/21 धारा 429 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 86/22 धारा 380/411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

➤ 08 बोतल देशी शराब माल्टा मार्का हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 राजेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक:31.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध मादक/नशीले पदार्थों एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.12.2024 को रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान अभियुक्त साजिद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम चुन्हैटी गाढा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर को कांकरकुई अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 07 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना रामपुरमनिहारन पर मु0अ0स0- 499/2024 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं अवैध स्मैक की खरीद फरोख्त का धंधा करता हूँ रामपुरमनिहारन थाना क्षेत्र के आस- पास के क्षेत्रों व गांव मे स्मैक पीने वाले व्यक्तियों को महंगे दामो मे बेचता हूँ जिससे मेरी अच्छी मोटी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साजिद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम चुन्हैटी गाढा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर ।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-001/24 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रामपुर मनि0 स0पुर
2. मु0अ0सं0-003/22 धारा-2/3 गैंग एक्ट थाना रामपुर मनि0 स0पुर
3. मु0अ0सं0-317/22 धारा- 3/5/8 सीएस एक्ट थाना रामपुर मनि0 स0पुर
4. मु0अ0सं0-395/22 धारा-3/5/8 सीएस एक्ट थाना रामपुरमनि0
5. मु0अ0सं0-396/21 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनि0 स0पुर
6. मु0अ0सं0-716/18 धारा-328/379 भादवि थाना कोतवाली देहात
7. म0अ0सं0-009/24 धारा-307/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स कट थाना चिलकाना स0पुर

बरामदगी का विवरण

➤ 07 ग्राम स्मैक नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना चिलकाना जिला सहारनपुर ।
2. का0 2503 राहुल कुमार थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर ।
3. हो0गा0 1548 कर्णवीर सिंह थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर ।